संख्या- 03 /2022 / 2456 /चार-2021

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 05 जनवरी, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह, लखनऊ के नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ के पत्र संख्या-226/संस्कृति विभाग/2021-22 दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह, लखनऊ के नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार हेतु शासनादेश संख्या-22/2020/2348/चार-2019 दिनांक 03 जनवरी, 2020 द्वारा रू0 381.60 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

3- उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह, लखनऊ के नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

4- प्रश्नगत कार्य हेतु दी गयी उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) शासनादेश संख्या-22/2020/2348/चार-2019 दिनांक 03 जनवरी, 2020 तथा शासनादेश संख्या-17/2021/426/चार-2021 दिनांक 22 फरवरी, 2021 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24.03.2020, शासनादेश दिनांक 07.04.2020, 11.04.2020, 18.05.2020 एवं 20.01.2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के संबंध में सक्षम स्तर से प्रमाणिक प्रपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

5- राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह लखनऊ के नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार के समस्त कार्य इन्टैक (INTACH), लखनऊ के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा। इन्टैक (INTACH), लखनऊ को प्रश्नगत कार्य के कन्टीजेन्सी मद की 02 प्रतिशत की धनराशि से नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। सचिव, राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ द्वारा उक्त कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 92- के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय-50- राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह, कैसरबाग, लखनऊ का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण -24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7- उक्त स्वीकृति प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

संख्या- 03 /2022 / 2456 (1) /चार-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, कबीर मार्ग, (निकट योजना भवन), क्ले स्कवायर, लखनऊ।
3- निदेशक, इंटैक कंसर्वेशन इंस्टीट्यूट, बी-42, निराला नगर, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- सचिव, राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ/ प्रभारी, राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in